जनपद संतकबीरनगर

दिनाँक 29.09.2025

- ❖ ***पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा जनपद के समस्त अधिकारी / कर्मचारीगण के साथ गूगल मीट के माध्यम से की गई आनलाइन गोष्ठी***
- ❖ ***उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान 5.0" के सफल क्रियान्वयन हेतु दिया गये आवश्यक दिशा -निर्देश***
- ❖ ***शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत महिला सुरक्षा हेतु एंटी-रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय रखते हुए सतर्क दृष्टि बनाए रखने हेतु दिये गये आवश्यक सख्त दिशा-निर्देश***
- ❖ **सुरक्षा व्यवस्था के सशक्त बनाने हेतु फुट–पेट्रोलिंग व रात्रि गश्त नियमित व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।***
- ❖ **जाति संघर्ष व वाद-विवाद में अविलम्ब निष्पक्ष कार्यवाही करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर द्वारा अफवाहे फैलाने पर सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।**
- ❖ **सार्वजनिक स्थानों पर साम्प्रदायिक पोस्टर लगाने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही हेतु दिया गया आदेश, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने वाले के विरूद्ध अविलम्ब विधिक कार्यवाही हेतु दिये गये सख्त आदेश। ***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा आज दिनाँक 28/29.09.2025 की रात्रि में गूगल मीट के माध्यम से पुलिस बैठक आहूत की गई,जिसमें ***अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह*, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, समस्त चौकी प्रभारी, प्रभारी WCSO, / प्रभारी LIU, / यातायात प्रभारी*** समेत अन्य अधिकारीगण के साथ ***शारदीय नवरात्रि पर्व / मिशन शक्ति अभियान 5.0 / महिला सुरक्षा/ पेट्रोलिंग, रात्रि गश्त, सोशल मीडिया निगरानी, चोरी व जघन्य अपराध, सम्प्रदायिक वाद विवाद, मोटर वाहन के विरूद्ध चलाये गये विशेष अभियान* आदि** विषयों के दृष्टिगत गोष्ठी की गयी।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये-

- ➢ नवरात्रि पर्व पर आयोजित पूजा-पंडालों, शक्ति मंदिरों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर विशेष सतर्कता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- ➢ सभी थानाध्यक्ष / प्रभारी निरीक्षक को थाने से संबंधित मिशन शक्ति संबंधी सूचना, अपराध रजिस्टर रजिस्टर आदि नवीनतम जानकारी के साथ अद्यतन रखने हेतु आदेशित किया गया।
- ➢ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग पर बल देते हुए अफवाह फैलाने वालों एवं शांति भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- ➢ महिला सुरक्षा हेतु एंटी-रोमियो स्क्वॉड एवं पिकेट ड्यूटी को सक्रिय रखते हुए सतर्क दृष्टि बनाए रखी जाए।
- ➢ कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु मिश्रित आबादी व भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग, रात्रिकालीन गश्त, ड्रोन व सीसीटीवी निगरानी प्रभावी रूप से की जाए।

अंत में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कहा गया कि नवरात्रि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही आमजनमानस से भी अपील की गई कि वे शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

<u>*शारदीय नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत महिला सुरक्षा हेतु एंटी-रोमियो स्क्वॉड को सक्रिय रखते हुए सतर्क दृष्टि बनाए रखने हेतु दिये गये आवश्यक सख्त दिशा-निर्देश, न्यायासंगत कार्यवाही नहीं होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही के दिया गया सख्त निर्देशः-*</u>

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान 5.0" के सफल क्रियान्वयन हेतु दिया गये आवश्यक दिशा -निर्देश

- ➢ मिशन शक्ति का उद्देश्य प्रत्येक महिला को सुरक्षित एवं सशक्त वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे निर्भीक होकर अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।
- ➢ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, कानूनी सहायता, साइबर सुरक्षा आदि क्षेत्रों में महिलाओं को सक्षम बनाने हेतु बहुविध प्रयास किए जा रहे हैं।
- ➢ विद्यालयों, कॉलेजों, पंचायत भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर आत्मरक्षा प्रशिक्षण, जागरूकता रैलियाँ एवं काउंसलिंग सत्र का आयोजन हो रहा है।
- ➢ जिला प्रशासन द्वारा महिला हेल्प डेस्क, टोल-फ्री नंबर एवं त्वरित पुलिस सहायता की व्यवस्थाएँ सशक्त की जा रही हैं।
- ➢ महिलाओं हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और प्रोत्साहन के लिए जनजागरूकता अभियान तेज़ी से चलाया जा रहा है।
- ➢ "मिशन शक्ति" के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों से महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता एवं सुरक्षा की भावना को अभूतपूर्व बल प्राप्त हो रहा है। विभाग सभी नागरिकों एवं संस्थाओं से आह्वान करता है कि वे इस अभियान को सफल बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

<u>*सुरक्षा व्यवस्था के सशक्त बनाने हेतु फुट–पेट्रोलिंग व रात्रि गश्त नियमित व प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।*</u>

- ▪ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने हेतु फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त को नियमित और प्रभावी बनाने के निर्देश दिये गए हैं। इसे विशेष रूप से बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, स्कूल-कॉलेज के आस-पास, एवं संवेदनशील इलाकों में बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सके एवं नागरिकों विशेषकर महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा सके।
- ▪ फुट पेट्रोलिंग पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन थानेवार गश्त का ब्योरा दर्ज किया जाता है, जिससे ऑनलाइन निगरानी और समीक्षा की जाती है। अधिकारियों को निर्देश हैं कि वे रोस्टर के अनुसार रात्रि गश्त और पैदल गश्त का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। मिशन शक्ति जैसे अभियान के तहत पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जा रही है, जिसमें एंटी-रोमियो स्क्वॉड और महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना मजबूत होती है।
- ▪ यह कदम प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और जनता को बेहतर सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
- ▪ फुट पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त से लोगों में सुरक्षा की भावना जागृत होती है, जिससे सामाजिक शांति बनी रहती है और अपराध की घटनाएं कम होती हैं। साथ ही पुलिस की सक्रियता से सामुदायिक विश्वास भी बढ़ता है।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 6002 द्वारा मारपीट में घायल 06 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल**-* पीआरवी 6002 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत चिलौना से कालर द्वारा मारपीट में घायल 06 व्यक्तियों, (1- पंकज कुमार पुत्र जयश्री,02-इन्द्रावती पत्नी जयश्री, 03-पूनम पुत्री जयश्री, 04-विक्रम कुमार पुत्र चन्द्रमूल, 05-अनीशा पुत्री दशरथ, 06-आरती पुत्री चन्द्रमूल निवासीगण ग्राम चिलौना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- हे0का0 गौतम कुमार, का0 बबलू कुमार यादव, का0चा0 रजन प्रसाद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.09.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 87,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अन्तर्गत एसपी इंटरनेशनल एकेडमी बखिरा की कक्षा 09 की छात्रा अदिति को 01 दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा बनाया गया

__उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0__ के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु *श्री अमित कुमार* व प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा श्री राकेश कुमार सिंह की उपस्थिति में **एसपी इंटरनेशनल एकेडमी बखिरा** की कक्षा 9वीं की छात्रा अदिति को थाना बखिरा का एक दिन का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक बनकर अदिति द्वारा थाने पर उपस्थित होकर जनसुनवाई किया गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को आदेशित किया गया।

तत्पश्चात **एसपी इंटरनेशनल एकेडमी बखिरा** की छात्राओं को थाने की कार्यप्रणाली, FIR पंजीकरण की प्रक्रिया, महिला अपराधों से सम्बंधित कानूनी प्रावधान तथा 1090, 1930 व 112,1098,108,181, डायल सेवा की जानकारी दी गयी। छात्राओं को आश्वस्त किया गया कि निडर होकर अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं, पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा हेतु तत्पर है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं/बालिकाओं में अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससे वह समाज में एक सशक्त नारी शक्ति बनकर समाज के साथ समान हिस्सेदारी से मिलकर विकसित समाज बनाती हैं। बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा एम्बुलेंस सेवा-1098, चाइल्ड लाइन-108, स्वास्थ्य सेवा-102, गर्भवती महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया।

मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अन्तर्गत श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक इण्टर कालेज झुड़िया बेलहरकला की कक्षा 08वीं की छात्रा दीपिका राजपूत को 01 दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला बनाया गया

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में, प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार की उपस्थिति में **श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक इण्टर कालेज झुड़िया बेलहरकला** की कक्षा 8वीं की छात्रा दीपिका राजपूत को थाना बेलहरकला का एक दिन का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया। प्रभारी निरीक्षक बनकर दीपिका द्वारा थाने पर उपस्थित होकर जनसुनवाई किया गया तथा प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच/आवश्यक कार्यवाही हेतु अधीनस्थों को आदेशित किया गया।

तत्पश्चात **श्री लोकमान्य गंगाधर तिलक इण्टर कालेज झुड़िया बेलहरकला** की छात्राओं को थाने की कार्यप्रणाली, FIR पंजीकरण की प्रक्रिया, महिला अपराधों से सम्बंधित कानूनी प्रावधान तथा 1090, 1930 व 112,1098,108,181, डायल सेवा की जानकारी दी गयी। छात्राओं को आश्वस्त किया गया कि निडर होकर अपनी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती हैं, पुलिस सदैव उनकी सुरक्षा हेतु तत्पर है। ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्राओं/बालिकाओं में अपने जीवन में ऊंची उड़ान भरने के लिए सकारात्मक सोच विकसित करना है, जिससे वह समाज में एक सशक्त नारी शक्ति बनकर समाज के साथ समान हिस्सेदारी से मिलकर विकसित समाज बनाती हैं। बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा एम्बुलेंस सेवा-1098, चाइल्ड लाइन-108, स्वास्थ्य सेवा-102, गर्भवती महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में,घरेलू हिंसा के बारे में, आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त किया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैंगेस्टर एक्ट के मामलें में अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 29.09.2025 को ***माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर*** द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 275/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 जैद पुत्र मो0 जकी निवासी हटवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध के लिए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 03 माह के कठोर कारावास का दण्ड भुगतना होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप नाबालिग के अपहरण के आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 26.09.2025 को ***माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, संतकबीरनगर*** द्वारा नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 05 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 69/2022 धारा 354क/323/504/506 भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अजय उर्फ अक्षय पुत्र दयाराम निवासी कलान थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनाँक 14.03.2022 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की गयी थी। अभियुक्त उपरोक्त को धारा 354क भा0द0वि0 व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए धारा 7/8 पाक्सो एक्ट 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के साधारण कारावास का दण्ड तथा धारा 354 क भा0द0वि0 के अपराध में जेल में बिताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान
अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 168 स्थानों पर 1254 व्यक्तियों को चेक करते हुए 47 शोहदों से माफीनामा भरवाकर को हिदायत देते हुए छोड़ा गया
50 शोहदों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों व स्कूलों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन - 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन -1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । ***इस दौरान थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 20 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 198 व्यक्तियों को चेक किया गया व 180 शोहदों के परिजनों को बुलाकर हिदायत/ चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 25 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 81 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 03 अभियोग पंजीकृत कर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 31 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 150 व्यक्तियों को चेक किया गया व 135 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 27 स्थानों पर बिना वजह बाहर घूम रहे 156 व्यक्तियों को चेक करते हुए 07 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 52 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 22 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 82 व्यक्तियों को चेक कर 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 65 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर बिना वजह घूम रहे 180 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 02 अभियोग पंजीकृत कर 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 42 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 22 स्थानों पर 160 व्यक्तियों को चेक करते हुए धारा 296 बीएनएस के तहत 01 अभियोग पंजीकृत कर 01 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया व 09 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 95 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 15 स्थानों पर 145 व्यक्तियों को चेक करते हुए 20 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई तथा 100 के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया । थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 07**

स्थानों पर **102** व्यक्तियों को चेक करते हुए **02** शोहदों के विरुद्ध **126/135/170 BNSS** की कार्यवाही की गई तथा **54** के परिजनों को बुलाकर हिदायत/चेतावनी देकर छोड़ा गया।